

[2024] 8 एस. सी. आर 516:2024 आईएनएससी 621

राजकरण सिंह व अन्य।

बनाम

भारत संघ व अन्य।

(सिविल अपील सं. 9721/2024)

22 अगस्त 2024

[माननीय न्या. हिमा कोहली एवं माननीय न्या. संदीप मेहता।]

विचारणीय मुद्दा

क्या अपीलार्थीगण अंशदायी निधि एकीकरण द्वारा प्रबंधित योजना के अस्थायी कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत होने के बावजूद, 6वें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के अनुसार पेंशन लाभ हेतु पात्रता का दावा कर सकते हैं।

हेडनोट्स

सेवा विधि-संशोधित वेतनमान नियम, 2008-भारत का संविधान- अनुच्छेद 12,14,16-अनुच्छेद 12 के अंतर्गत "प्राधिकरण" - अपीलार्थीगण द्वारा 6वें सीपीसी के अंतर्गत पेंशन लाभ हेतु दावा - विशेष सीमा बल (एसएफएफ) के अनिवार्य एसएसडी फंड का प्रबंधन करने के लिए चालू वेतनमान पर जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, यूडीसी, एलडीसी के रूप में नियुक्त बचत योजना जमा (एसएसडी) कर्मचारी - प्रत्याख्यान - अपीलार्थीगण के कर्तव्य, यदि एसएफएफ मुख्यालय प्रतिष्ठान सं. 22 के लेखा अनुभाग में नियमित कर्मचारियों के समान थे और इस प्रकार, क्या वे 6वें सीपीसी के अंतर्गत पेंशन लाभ के हकदार थे और इसका प्रत्याख्यान अनुचित था:

अभिनिर्धारित किया गया: अपीलार्थीगण के नियोजन में नियमित सरकारी सेवा के पर्याप्त लक्षण हैं, बावजूद इसके कि उन्हें अस्थायी कर्मचारियों के रूप में औपचारिक रूप से वर्गीकृत किया गया है - अपीलार्थीगण को नियमित वेतनमान पर नियुक्त किया गया था, जो स्थायी सरकारी कर्मचारी के समान औपचारिक कर्मचारी-नियोक्ता संबंध को दर्शाता है - अपीलार्थीगण के वृत्ति पथ को स्थायी कर्मचारियों की तरह प्रबंधित किया गया था, जो नियमित सरकारी सेवा के अनुरूप सरकारी अन्वेक्षा और नियंत्रण के स्तर को दर्शाता है - सुनिश्चित वृत्ति प्रगति के अनुदान सहित छुट्टी और अन्य लाभों का प्रावधान अपीलार्थीगण की नियोजन स्थितियों और नियमित सरकारी कर्मचारियों के बीच समानता को पुष्ट करता है - एसएसडी फंड हेतु खातों के रखरखाव से जुड़े उनके कर्तव्यों का चार्टर सरकारी कार्यों से निकटता से संबंधित लोक महत्व का एक समनुदेशन है - अजय हसिया मामले में निर्धारित सिद्धांतों को लागू करना, जिसने यह निर्धारित करने के लिए विभिन्न परीक्षण स्थापित किए कि क्या किसी इकाई को सरकार का परिकरण या अभिकरण माना जा सकता है और इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत एक “प्राधिकरण” वर्तमान मामले में, अपीलार्थीगण नियमित सरकारी कर्मचारियों की विशेषताओं को पूरा करते हैं - अपीलार्थीगण ने तीन दशकों से अधिक समय तक एसएफएफ मुख्यालय प्रतिष्ठान सं. 22 में काम किया - जबकि केवल सेवा की अवधि निर्णायक नहीं हो सकती है, यह एक महत्वपूर्ण कारक है जब उनके नियोजन के अन्य पहलुओं के साथ संयोजन में विचार किया जाता है - इस प्रकार की दीर्घकालिक सेवा सरकारी ढांचे में

स्थायित्व और एकीकरण का एक स्तर सुझाती है जो अस्थायी कर्मचारियों के रूप में उनके वर्गीकरण को झुठलाती है - अपीलार्थीगण ने एसएफएफ मुख्यालय प्रतिष्ठान सं. 22 के लेखा अनुभाग में नियमित कर्मचारियों के समान कर्तव्यों का पालन किया और नियमित कर्मचारियों से अप्रभेद्य तरीके से दशकों तक सरकार की सेवा की - प्रशासनिक आदेशों और बोर्ड की कार्यवाहियों में भी अपीलार्थीगण को नियमित सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष माना गया है - केवल अस्थायी स्थिति के आधार पर पेंशन लाभ से इनकार करना न्यायोचित नहीं है और मनमाना है तथा यह अनुच्छेद 14 और 16 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है - उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय असंधार्य है, इसे अपास्त किया जाता है - अपीलार्थीगण 6वें केंद्रीय वेतन आयोग के लाभों के हकदार हैं, जिसमें संशोधित वेतनमान नियम, 2008 के अंतर्गत पेंशन लाभ भी शामिल हैं, उसी प्रकार जैसे एसएफएफ मुख्यालय प्रतिष्ठान सं. 22 के लेखा अनुभाग में उनके साथियों को दिए गए हैं। [पैरा 27-29, 32-36]

भारत का संविधान-अनुच्छेद 12 - “प्राधिकरण” के अंतर्गत - एक इकाई, जब सरकार का एक परिकरण/अभिकरण है - अजय हसिया और अन्य बनाम खालिद मुजीब सेहरावर्दी और अन्य में निर्धारित परीक्षण - कर्मचारी-नियोक्ता संबंधों की प्रकृति का आकलन - चर्चा की गई।

मामला विधि उद्धृत

अजय हसिया एवं अन्य बनाम खालिद मुजीब सेहरावर्दी एवं अन्य [1981] 2 एससीआर 79 : (1981) 1 एससीसी 722;

प्रदीप कुमार विश्वास बनाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी एवं अन्य [2002] 3 एससीआर 100: (2002) 5 एससीसी 111; विनोद कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ [2024] 1 एससीआर 1230: (2024) एससीसी ऑनलाइन एससी 1533 - पर निर्भरता व्यक्त।

कर्नाटक राज्य व अन्य बनाम एम.एल. केसरी एवं अन्य [2010] 9 एससीआर 543: (2010) 9 एससीसी 247; सुरिंदर सिंह एवं अन्य बनाम इंजीनियर-इन-चीफ, सी.पी.डब्ल्यू.डी. एवं अन्य (1986) 1 एससीसी 639; पंजाब राज्य व अन्य बनाम जगजीत सिंह व अन्य [2016] 7 एससीआर 350: (2017) 1 एससीसी 148; भारत संघ बनाम दिनेशन के.के. [2008] 1 एससीआर 100: (2008) 1 एससीसी 586; रणधीर सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य [1982] 3 एससीआर 298: (1982) 1 एससीसी 618 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

संशोधित वेतनमान नियम, 2008; भारत का संविधान; केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972।

मुख्य शब्दों की सूची

विशेष सीमा बल (एसएफएफ); अनिवार्य बचत योजना जमा (एसएसडी) निधि; एसएसडी निधि हेतु खातों का रखरखाव; अस्थायी कर्मचारी; अस्थायी स्थिति; अस्थायी कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत; अस्थायी कर्मचारियों के रूप में औपचारिक वर्गीकरण; नियमित कर्मचारी; नियमित कर्मचारियों के समान कर्तव्य; सरकार का परिकरण या अभिकरण, भारत के संविधान के

अनुच्छेद 12 के अंतर्गत "प्राधिकरण"; कर्मचारी-नियोक्ता संबंध;
पेंशन लाभ; पेंशन लाभ से इनकार; नियमित सरकारी कर्मचारी;
नियमित सरकारी कर्मचारी; 4, 5, 6वां केंद्रीय वेतन आयोग;
संशोधित वेतनमान नियम।

मामला उद्भूत हुआ

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 9721/2024

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली की रि.या. सं. 3543/2017
के दिनांक 25.04.2017 के निर्णय एवं आदेश से

पक्षकारगण हेतु उपस्थितियाँ

सुश्री नेहा राठी, कमल किशोर, सुश्री काजल गिरी, संयम जैन,
किसलय पांडे, हरिओम यदुवंशी, सुश्री एस. हरिनी, अवि धनकर,
सुश्री ज्ञानवी रॉय, अर्जुन यदुवंशी, डॉ. मोनिका गुसाईं,
अपीलार्थीगण हेतु अधिवक्तागण।

के एम नटराज, अति.महासॉलि., वत्सल जोशी, बी के सतीजा,
शरथ नांबियार, दिव्यांशु कुमार श्रीवास्तव, सिद्धार्थ वेंकटेश
ठाकुर, अरविंद कुमार शर्मा, प्रत्यर्थीगण हेतु अधिवक्तागण।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

माननीय न्या. श्री मेहता

1. सुना गया।
2. अनुमति अनुदत्त।
3. वर्तमान अपील, अपीलार्थीगण की ओर से विशेष अनुमति द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें रिट याचिका (सिविल) सं. 3543/2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25 अप्रैल, 2017 के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसमें अपीलार्थीगण द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली (इसके बाद 'अधिकरण' के रूप में संदर्भित) द्वारा मूल आवेदन सं. 60/2013 और 459/2013 में पारित दिनांक 4 अक्टूबर, 2016 के निर्णय को बरकरार रखा गया। अधिकरण ने 6वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 1 जनवरी, 2006 से संशोधित वेतन नियम, 2008 (इसके बाद आरपी नियम के रूप में संदर्भित) के प्रतिस्थापन स्केल के लाभों के लिए अपीलार्थीगण के दावे को अस्वीकार कर दिया था।

संक्षिप्त तथ्य:

4. संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि अपीलार्थीगण (अपीलार्थी सं. 1 से अपीलार्थी सं. 6) को विशेष सीमा बल (इसके बाद एसएफएफ के रूप में संदर्भित) के अनिवार्य बचत योजना जमा (इसके बाद एसएसडी के रूप में संदर्भित) निधि का प्रबंधन करने के लिए जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, अपर डिवीजन क्लर्क (यूडीसी) और लोअर डिवीजन क्लर्क (एलडीसी) जैसे विभिन्न पदों पर मौजूदा वेतनमान पर नियुक्त किया गया था। एसएसडी फंड एक कल्याणकारी पहल है जिसे एसएफएफ

सैनिकों के वेतन से उनके व्यक्तिगत योगदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। उपरोक्त के अनुसार नियुक्त होने पर, अपीलार्थीगण को चौथे और पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग ('सीपीसी') के अनुसार वेतन के साथ यात्रा भत्ता (टीए), महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए), विशेष सुरक्षा भत्ता (एसएसए), उपदान (ग्रेच्युटी), बोनस, शीतकालीन भत्ता और उच्च ऊंचाई भत्ता आदि भी प्राप्त हुए।

5. दिनांक 1 जनवरी, 2006 को भारत संघ ने 6वें केंद्रीय वेतन आयोग को लागू किया और इसे एसएफएफ के सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू किया। यद्यपि, ये लाभ अपीलार्थीगण अर्थात् एसएफडी कर्मचारियों को नहीं दिए गए और इसके बजाय, उनमें से प्रत्येक को 3,000/- रुपये प्रति माह की तदर्थ राशि दी गई। संक्षिप्तता के लिए, अपीलार्थीगण की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति, सेवा की अवधि और विभिन्न सीपीसी के अनुसार उनके वेतन के संदर्भ में विवरण नीचे सारणीबद्ध रूप में दिए गए हैं: -

अपीलार्थी का नाम	नियुक्ति तिथि	पद	सेवानिवृत्ति की तिथि	प्रदत्त सेवा	प्रारंभिक संदत्त वेतन	वर्ष 2010 के बाद संदत्त वेतन
राजकरण सिंह ('ए 1')	1 जनवरी, 1975	लोअर डिवीज़न क्लर्क	31 अगस्त 2012	37 वर्ष और 8 महीने	220-270 रु/-	6वें सीपीसी के स्थान पर 5वें सीपीसी व 3,000/- रु. के अनुसार

जगत राम जोशी (‘ए 2’)	25 अप्रैल, 1975	लोअर डिवीज़न क्लर्क	28 फ़रवरी 2013	37 वर्ष और 10 महीने	220- 270 रु/-	6वें सीपीसी के स्थान पर 5वें सीपीसी व 3,000/- रु. के अनुसार
विशु दत्त त्रिपाठी (‘ए 3’)	2 मई, 1978	लोअर डिवीज़न क्लर्क	31 जुलाई 2013	35 वर्ष और 3 महीने	260- 400 रु/-	6वें सीपीसी के स्थान पर 5वें सीपीसी व 3,000/- रु. के अनुसार
एच.के. नैथानी (4’)	27 नवंबर, 1982	लोअर डिवीज़न क्लर्क	31 अगस्त 2018	35 वर्ष और 9 महीने	260- 400 रु/-	6वें सीपीसी के स्थान पर 5वें सीपीसी व 3,000/- रु. के अनुसार
शिव कुमार (‘ए 5’)	25 मई, 2005	जूनियर एकाउंटेंट	18 फ़रवरी 2014 (वीआरएस)	8 साल और 9 महीने	5000- 8000 रु/-	6वें सीपीसी के स्थान पर 5वें सीपीसी व 3,000/- रु. के अनुसार

सूरत सिंह (‘ए 6’)	16 जुलाई, 1977	लोअर डिवीज़न क्लर्क	1 जनवरी 2009 (वीआरएस)	31 वर्ष और 5 महीने	260- 290 रु/-	6वें सीपीसी के स्थान पर 5वें सीपीसी व 3,000/- रु. के अनुसार
----------------------	-------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------	--

6. सेवानिवृत्ति की आयु अर्थात् 60 वर्ष प्राप्त करने पर, अपीलार्थीगण ने 6वें केंद्रीय वेतन आयोग (‘सीपीसी’) के अंतर्गत पेंशन लाभ का दावा किया। दिनांक 28 जुलाई, 2011 को, अपीलार्थी सं. 1 (राजकरन सिंह) ने 6वें सीपीसी के अंतर्गत पेंशन लाभ की मांग करते हुए प्रत्यर्थी सं. 1 के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर किया, यद्यपि, इसे दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 के आदेश के अंतर्गत इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि वह सरकारी कर्मचारी नहीं था और किसी भी भर्ती नियम का पालन करके उसकी नियुक्ति नहीं की गई थी, और इसलिए, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (इसके बाद ‘सीसीएस नियम’ के रूप में संदर्भित) उस पर लागू नहीं होगा। अन्य अपीलार्थीगण (अपीलार्थी सं. 2- अपीलार्थी सं. 6) ने भी प्रत्यर्थीगण के समक्ष इसी प्रकार के अभ्यावेदन दायर किए, जिनका उसी तर्क पर समान हश्र हुआ।

7. 6वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत पेंशन लाभ के लिए अपने दावे की अस्वीकृति से व्यथित होकर, अपीलार्थीगण ने अधिकरण के समक्ष मूल आवेदन दायर किए, जिसमें 6वें

केन्द्रीय वेतन आयोग के लाभों के गैर-कार्यान्वयन को चुनौती दी गई तथा एसएसडी फंड में सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) प्रावधानों के अभाव के विषय में भी शिकायत की गई, जबकि उन्हें कैबिनेट सचिवालय के प्राधिकरण के अंतर्गत सृजित पदों पर नियुक्त किया गया था तथा नियुक्तियां करने में विधि की उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था।

8. अधिकरण ने दिनांक 4 अक्टूबर, 2016 के आदेश के अनुसार मूल आवेदनों को खारिज कर दिया और अपीलार्थीगण के दावों को अस्वीकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि वे सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं थे। अधिकरण ने सीसीएस नियमों के नियम 2 को संदर्भित किया और अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थीगण सीसीएस नियमों के अंतर्गत लाभ के हकदार नहीं थे क्योंकि उनके वेतन का भुगतान न तो भारत के समेकित कोष, आकस्मिक निधि या लोक लेखा निधि से किया गया था, न ही उनकी सेवाएं वैधानिक दायित्वों द्वारा शासित थीं अर्थात् उन पर कोई भर्ती नियम लागू नहीं थे। अधिकरण ने आगे कहा कि अपीलार्थीगण की भर्ती किसी ऐसे विज्ञापन के अंतर्गत नहीं की गई थी जिसमें आम लोगों को शामिल होने का अवसर दिया गया था; एसएसडी फंड को चलाने के लिए कारखाना अधिनियम के अंतर्गत किसी भी दायित्व का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यह कारखाना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता; और की गई सेवाएं वैधानिक प्रकृति की नहीं थीं क्योंकि एसएसडी फंड एसएफएफ कर्मचारियों द्वारा किया गया स्वैच्छिक योगदान है। अधिकरण ने पाया कि एसएसडी फंड को एसएफएफ कर्मचारियों के स्वैच्छिक योगदान से वित्तपोषित

किया गया था और इसलिए इसमें दी गई सेवाएं सरकारी सेवा के रूप में योग्य नहीं थीं।

9. अपीलार्थीगण ने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके अधिकरण के आदेश को चुनौती दी जिसे अस्वीकार कर दिया गया और अधिकरण के आदेश की संपुष्टि की गई, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थीगण को एसएसडी फंड को बनाए रखने के उद्देश्य से नियुक्त किया गया था, जो एसएफएफ के सैनिकों द्वारा किए गए व्यक्तिगत योगदान के माध्यम से संचालित एक कल्याणकारी योजना है। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एसएफएफ के सैनिक निस्संदेह सरकारी कर्मचारी हैं, परंतु यह अपने आप में अपीलार्थीगण को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा नहीं देता। उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25 अप्रैल, 2017 के आक्षेपित आदेश को विशेष अनुमति द्वारा इस अपील में चुनौती दी जा सकती है।

अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुतियाँ:-

10. अपीलार्थीगण का प्रतिनिधित्व करने वाली विद्वान अधिवक्ता सुश्री नेहा राठी ने दृढ़तापूर्वक और उत्साहपूर्वक प्रतिवाद किया कि अपीलार्थीगण ने एसएसडी फंड के खातों को बनाए रखने के लिए तीन दशकों से अधिक समय तक विभाग की सेवा की है और इसलिए, उन्हें 6 वें सीपीसी के अनुसार इस अनुमान पर पेंशन और अन्य सेवा लाभ प्रदान न करना कि उनका नियोजन अस्थायी / गैर-सरकारी प्रकृति का था,

घोर मनमानी कार्रवाई के समान है, जो भारत के संविधान के अंतर्गत अपीलार्थीगण के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

11. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थीगण नियमित सरकारी कर्मचारियों की सभी विशेषताओं को पूरा करते हैं, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उन्हें नियमित वेतनमान में नियुक्त किया गया था और उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन वृद्धि और पदोन्नति, साथ ही छुट्टी और अन्य लाभ और परिलब्धियाँ भी मिलीं थी। इसके अतिरिक्त, उन्हें सुनिश्चित वृत्ति प्रगति (एसीपी) का लाभ दिया गया था।

12. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रतिवाद किया कि अपीलार्थीगण को सौंपे गए कार्य की प्रकृति एसएफएफ मुख्यालय प्रतिष्ठान सं. 22 के लेखा अनुभाग के नियमित कर्मचारियों के कार्य के समान थी। इसके अलावा, एसएफएफ खातों के स्थायी कर्मचारी भी एसएसडी फंड को बनाए रखने के लिए एसएसडी स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं, और वही कर्तव्य निभा रहे हैं। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 1 अप्रैल 2003 से एसएसडी फंड खातों को मुख्यालय एसएफएफ में स्थानांतरित करने के बाद, एसएसडी फंड का प्रबंधन एसएफएफ के महानिरीक्षक के समग्र नियंत्रण में मुख्यालय एसएफएफ में उप निदेशक (एजी) द्वारा किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, अपीलार्थीगण की सेवाओं को मुख्यालय एसएफएफ के क्षेत्राधिकार में लाया गया है और वे एसएफएफ के महानिरीक्षक के तत्वावधान में आती हैं। आगे प्रतिवाद किया गया कि अन्य सभी उद्देश्यों के लिए, अपीलार्थीगण को

लेखा अनुभाग के नियमित कर्मचारियों के समान माना गया है। इसलिए, अपीलार्थीगण लेखा अनुभाग के नियमित कर्मचारियों के समान लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं तथा साथ ही 6वें केन्द्रीय वेतन आयोग से पेंशन तथा परिणामी लाभ भी प्राप्त करने के हकदार हैं।

13. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि एसएसडी फंड कर्मचारियों को पेंशन लाभ से वंचित करना, जबकि एसएफएफ कर्मियों और अन्य एसएफएफ लेखा कर्मचारियों को वही प्रदान करना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए एक मनमाना और विभेदकारी निर्णय है। एसएफएफ कर्मियों को दिनांक 1 जनवरी, 2009 से पेंशन लाभ दिए गए थे और कमांडेंट के अधिकार के अंतर्गत एसएसएफ मुख्यालय प्रतिष्ठान सं. 22 में उसी प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त अन्य एसएफएफ लेखा कर्मचारियों को उनके नियोजन के प्रारंभ से (शुरू में छह महीने के लिए अस्थायी) दिया गया था। एक ही प्रतिष्ठान का हिस्सा होने और एक ही कमांडेंट द्वारा शासित होने के बावजूद, एसएसडी फंड में काम करने वाले अपीलार्थीगण को इन लाभों से अन्यायपूर्ण तरीके से बाहर रखा गया था। इस विभेदक उपचार में उचित आधार का अभाव है और यह विभेदकारी है। विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित तालिका के अनुसार एसएसडी फंड और एसएफएफ स्थायी कर्मचारियों को दिए गए लाभों और भत्तों के तुलनात्मक विवरण पर प्रकाश डाला:

विशिष्टियां	एसएस डी	एसएफएफ स्थायी कर्मचारी
-------------	------------	---------------------------

	स्टाफ	
मूल वेतन	हाँ	हाँ
महंगाई भत्ता	हाँ	हाँ
टीए/डीए (प्रतिनियुक्ति पर)	हाँ	हाँ
मकान किराया भत्ता	हाँ	हाँ
परिवहन भत्ता	हाँ	हाँ
बाल शिक्षा भत्ता	न हीं	हाँ
उच्च ऊंचाई भत्ता	हाँ	हाँ
शीतकालीन भत्ता	हाँ	हाँ
राशन भत्ता	हाँ	हाँ
विशेष सुरक्षा भत्ता	हाँ	हाँ
उपदान	हाँ	हाँ

अवकाश नकदीकरण (6वें वेतन आयोग के बाद सेवानिवृत्ति के समय भुगतान नहीं किया गया)	न हीं	हाँ
वार्षिक बोनस	हाँ	हाँ
वार्षिक वेतन वृद्धि	हाँ	हाँ
एलटीसी	हाँ	हाँ
एसीआर (6 वीं सीपीसी तक)	हाँ	हाँ
सेवा पुस्तिका का रखरखाव (6 वीं तक सीपीसी)	हाँ	हाँ
उच्च वेतनमान हेतु एसीपी	हाँ	हाँ
पदोन्नतियाँ	हाँ	हाँ

एसएसडी भविष्य निधि के सदस्य	हाँ	हाँ
समूह बीमा पॉलिसी के सदस्य	हाँ	हाँ
सीजीएचएस सुविधा (नई दिल्ली में)	न हीं	हाँ
सैन्य अस्पताल में चिकित्सा सुविधा	हाँ	हाँ

14. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रतिवाद किया कि दस वर्ष से अधिक समय तक सेवा करने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु उपयुक्त योजना तैयार करने की जिम्मेदारी प्रत्यर्थीगण अर्थात् राज्य की है। उन्होंने कहा कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थीगण के प्रतिनिधित्व को पूर्ण रूप से मनमाने आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि उन्हें कठोर चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त नहीं किया गया था और सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 उन पर लागू नहीं होते। उन्होंने आग्रह किया कि अपीलार्थीगण की नियुक्ति कैबिनेट सचिवालय के नियमों का पालन करते हुए चयन की उचित प्रक्रिया के अंतर्गत की गई थी और इसे केवल वैधानिक भर्ती और सेवा नियमों के आभाव के कारण अनियमित या अवैध नहीं माना

जा सकता है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता ने कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम एमएल केसरी और अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता व्यक्त की।

15. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलार्थीगण का मामला पूर्ण रूप से “समान कार्य के लिए समान वेतन” के सिद्धांत के अंतर्गत आता है और अस्थायी कर्मचारियों को दिया जाने वाला समान वेतन का अधिकार, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 से आता है। इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से प्रतिपादित “समान कार्य के लिए समान वेतन” का यह सिद्धांत विधि का निर्माण करता है, जो भारत के सभी न्यायालयों और परिणामस्वरूप प्रत्यर्थीगण पर बाध्यकारी है। यह अस्थायी कर्मचारियों पर भी लागू होता है जो नियमित कर्मचारियों के समान कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता ने सुरिंदर सिंह और अन्य बनाम इंजीनियर-इन-चीफ, सीपीडब्ल्यूडी और अन्य, पंजाब राज्य और अन्य बनाम जगजीत सिंह और अन्य, भारत संघ बनाम दिनेशन के.के., और रणधीर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भरता व्यक्त की है।

इन आधारों पर, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय से प्रार्थना की कि वह अपील को स्वीकार कर ले, आक्षेपित निर्णयों को अपास्त कर दे तथा प्रत्यर्थीगण को निर्दिष्ट करें कि वे अपीलार्थीगण के पक्ष में, 6वें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसरण में जारी किए गए आर.पी.

नियमों में निर्धारित प्रतिस्थापन वेतनमान का लाभ दिनांक 1 जनवरी, 2006 से जारी करें।

प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुतियाँ: -

16. प्रत्यर्थीगण का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अति.महासॉलि. श्री के.एम. नटराज ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों का दृढ़तापूर्वक और जोरदार विरोध किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एसएसडी फंड एक कल्याणकारी योजना है, जिसे दिनांक 1 अक्टूबर 1964 से बल कर्मियों हेतु सशस्त्र बल कार्मिक भविष्य निधि की तरह उनके कल्याण उपायों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। यह बल कर्मियों द्वारा उनके बेहतर भविष्य के लिए अभिदाय किया गया एक अंशदायी फंड है और एसएसडी फंड में कोई सरकारी फंड शामिल नहीं है, जिससे केंद्र सरकार से स्पष्ट अलगाव स्थापित होता है। सरकार के पास फंड के मामलों पर कोई नियंत्रण नहीं है, गहन और व्यापक नियंत्रण की बात तो दूर की बात है।

17. विद्वान अतिमहासॉलि. ने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलार्थीगण को एसएसडी फंड का प्रबंधन करने के लिए अस्थायी आधार पर काम पर रखा गया था, जो निवेश की गई राशि पर अर्जित ब्याज और ग्राहकों को दिए जाने वाले वार्षिक ब्याज के बीच के अंतर से उत्पन्न होता है। एसएसडी फंड कर्मचारियों (अर्थात् अपीलार्थीगण) हेतु भर्ती, चयन और पदोन्नति प्रक्रिया नियमित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू प्रक्रियाओं का पालन नहीं करती थी। चूंकि अपीलार्थीगण

को अस्थायी रूप से काम पर रखा गया था, इसलिए उन्हें स्थायी कर्मचारियों के रूप में परिवीक्षा या पुष्टि पत्र नहीं दिए गए थे और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विपरीत, उनके प्रदर्शन के वार्षिक मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं था। इन कर्मचारियों की नियुक्ति की शर्तों में स्पष्ट रूप से उनकी अस्थायी स्थिति और संबंधित शर्तों को रेखांकित किया गया था, जिसमें बिना पूर्व सूचना के पदच्युति की संभावना भी शामिल थी। यह उनके नियोजन की मौलिक प्रकृति के साथ संरेखित होता है, जो उन्हें आम तौर पर नियमित सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा दर्जा या हक प्रदान नहीं करता है।

18. विद्वान अतिमहासॉलि. ने यह भी प्रस्तुत किया कि अपीलार्थीगण के वेतन, जिन्हें सितंबर 2009 में अंततः 3,000/- रुपये प्रति माह बढ़ाया गया था, का भुगतान एसएसडी फंड से किया जाता है, जिसका योगदान एसएफएफ कर्मियों द्वारा किया जाता है और इसमें कोई सरकारी धन शामिल नहीं होता है। इसके अलावा, 4वें और 5वें सीपीसी के बाद, सरकार ने एसएसडी फंड कर्मचारियों (अर्थात् अपीलार्थीगण) के सीमित लाभ का परीक्षण किया किंतु विशिष्ट संदर्भ के साथ फंड के उद्देश्यों को बनाए रखने के लिए और उन्हें विस्तारित किया। इन शर्तों में भविष्य के संदर्भों में उनके वेतनमानों की तुलना 4वें सीपीसी द्वारा अनुशंसित वेतनमानों से न करना और आवश्यकता पड़ने पर तदर्थ आधार पर वेतन वृद्धि या महंगाई भत्ते की किस्तों पर विचार करना शामिल है। उन्होंने आग्रह किया कि एसएफएफ मुख्यालय प्रतिष्ठान सं. 22 के कमांडेंट के पास कैबिनेट

सचिवालय आदेश सं. ईए/ईएफ-ईएसटी-13/75 दिनांक 11 अक्टूबर, 1976 के अनुसार एसएसडी फंड पर विवेकाधीन प्राधिकार है। यह आदेश इस तथ्य को रेखांकित करता है कि इन कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू वेतनमानों का पालन करने के लिए अनिवार्य नहीं है।

19. विद्वान अतिमहासॉलि. ने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलार्थीगण द्वारा जिस 6वें सीपीसी और आरपी नियमों के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाने का दावा किया गया है, वह पूर्ण रूप से निराधार है। ये लाभ स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और उन पर लागू होते हैं और एसएसडी फंड जैसी अंशदायी योजनाओं की देखरेख करने वाले लोगों जैसी भूमिकाओं में लगे व्यक्तियों तक विस्तारित नहीं होते हैं। जबकि 5वें सीपीसी के बाद फंड कर्मचारियों को कुछ लाभ दिए गए थे, परंतु उनके प्रतिकर को 6वें सीपीसी के साथ संरेखित करने की व्यवहार्यता एसएसडी फंड की वित्तीय सीमाओं के कारण बाधित थी। वेतन, भत्ते या पदोन्नति में कोई भी वृद्धि, एसएसडी फंड की परिचालन अनिवार्यताओं और वित्तीय स्वास्थ्य द्वारा निर्देशित कल्याणकारी उपायों के रूप में विवेकपूर्ण तरीके से वितरित की गई थी।

20. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलार्थीगण की हकदारी, जिसमें कोई भी वित्तीय सहायता और पदोन्नति शामिल है, उनकी सेवा और विद्यमान सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रदान किए गए थे, और

भविष्य के दावों के लिए कोई उदाहरण स्थापित नहीं करते हैं। प्रत्यर्थीगण का कहना है कि ये अंतर एसएसडी फंड की अखंडता और स्थिरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, जो सरकारी विनियोगों से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है और पूर्ण रूप से एसएफएफ कर्मियों की सदस्यता के अभिदाय पर निर्भर है।

इन आधारों पर, विद्वान अतिरिक्त महासॉलिसिटर ने न्यायालय से अपील को खारिज करने और आक्षेपित निर्णयों की संपुष्टि करने की प्रार्थना की।

चर्चा और निष्कर्ष:

21. हमने बार में प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों पर गहन विचार किया है और आक्षेपित निर्णयों का परिशीलन किया है। पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण की सहायता से हमने उपलब्ध अभिलिखित तथ्यों का गहन परीक्षण किया है।
22. न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन हेतु प्रस्तुत मुख्य मुद्दा यह है कि क्या अपीलार्थीगण, अंशदायी निधियों के एकीकरण द्वारा प्रबंधित योजना के अस्थायी कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत होने के बावजूद, 6वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार पेंशन लाभों के लिए पात्रता का दावा कर सकते हैं।
23. इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए, हमें सबसे पहले इस न्यायालय द्वारा विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों में स्थापित विधिक ढांचे, विशेष रूप से अजय हसिया और अन्य बनाम खालिद मुजीब सेहरावर्दी और अन्य तथा प्रदीप कुमार बिस्वास बनाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी और अन्य

पर विचार करना चाहिए। जबकि अजय हसिया (पूर्वोक्त) और प्रदीप कुमार बिस्वास (पूर्वोक्त) मुख्य रूप से यह निर्धारित करते हैं कि क्या किसी निगम को राज्य का परिकरण माना जा सकता है, इसमें निर्धारित सिद्धांत कर्मचारी-नियोक्ता संबंधों की प्रकृति का आकलन करने में मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अजय हसिया (पूर्वोक्त) के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं: -

"7. यदि कोई निगम सरकार का मात्र अभिकरण या प्रतिनिधि पाया जाता है, "वास्तव में सरकार के स्वामित्व में है, वास्तव में सरकार द्वारा नियंत्रित है और वास्तव में सरकार का अवतरण है", तो न्यायालय को यह मानकर मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को विफल नहीं होने देना चाहिए कि यह सरकार नहीं है और इसलिए संवैधानिक सीमाओं के अधीन नहीं है। हमारा स्पष्ट रूप से यह मानना है कि जहां कोई निगम सरकार का परिकरण या अभिकरण है, उसे अनुच्छेद 12 के अर्थ में "प्राधिकरण" माना जाना चाहिए और इसलिए सरकार के समान मौलिक अधिकारों का पालन करने के लिए उसी मूल दायित्व के अधीन होना चाहिए।

8. हम यह बताना चाहेंगे कि यही प्रश्न कि कब किसी निगम को अनुच्छेद 12 के अर्थ में "प्राधिकरण" माना जा सकता है, इस न्यायालय के समक्ष आर.डी. शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण

[(1979) 3 एससीसी 489] में विचार के लिए उद्भूत हुआ था...

इसके बाद न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि यह कैसे निर्धारित किया जाए कि कोई निगम सरकार के परिकरण या अभिकरण के रूप में कार्य कर रहा है या नहीं, और इस प्रश्न पर विचार करते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की:

" एक निगम दो तरीकों में से एक से बनाया जा सकता है। इसे या तो कानून द्वारा स्थापित किया जा सकता है या कंपनी अधिनियम, 1956 या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 जैसी किसी विधि के अंतर्गत निगमित किया जा सकता है। जहाँ एक निगम न केवल अपनी नीति-निर्माण में किंतु इसे स्थापित करने वाली विधि या इसके निगमन के चार्टर द्वारा इसे सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में भी पूर्ण रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित होता है, वहाँ कोई संदेह नहीं हो सकता है कि यह सरकार का एक परिकरण या अभिकरण होगा। किंतु सामान्य रूप से जहाँ कोई निगम कानून द्वारा स्थापित किया जाता है, वह अपने कामकाज में स्वायत्त होता है, केवल एक प्रावधान के अधीन, जो अक्सर किया जाता है, कि वह नीतिगत मामलों के संबंध में

सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले किसी भी निर्देश से आबद्ध होगा। इसी प्रकार विधि के अंतर्गत निगमित निगम का प्रबंधन निदेशक मंडल या प्रबंधन समितियों द्वारा उस कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है जिसके अंतर्गत उसे निगमित किया गया है। ऐसा निगम सरकार का परिकरण या अभिकरण कब बन जाता है? क्या सरकार द्वारा निगम की पूरी शेयर पूंजी का स्वामित्व पर्याप्त है या यह आवश्यक है कि इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा कुछ हद तक प्रत्यक्ष नियंत्रण भी रखा जाए और यदि ऐसा है, तो ऐसे नियंत्रण की प्रकृति क्या होनी चाहिए? क्या निगम को जिन कार्यों को करने का दायित्व दिया गया है, उनमें कोई विशेष लक्षण या विशेषता होनी चाहिए, या क्या कार्यों की प्रकृति तत्त्वहीन है? अब, एक बात तो स्पष्ट है कि यदि निगम की पूरी शेयर पूंजी सरकार के पास है, तो यह इस बात को दर्शाने में काफी मददगार साबित होगी कि निगम सरकार का एक परिकरण या अभिकरण है। परंतु, जैसा कि अक्सर होता है, कानून द्वारा स्थापित निगम के पास कोई शेयर या शेयरधारक नहीं हो सकते हैं, ऐसे में यह विचार करना

एक प्रासंगिक कारक होगा कि क्या प्रशासन सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल के हाथों में है, हालांकि यह विचार भी निर्णायक नहीं हो सकता है, क्योंकि जहां निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वहां भी वे अपने कार्यों के निर्वहन में सरकारी नियंत्रण से पूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं। तो फिर यह निर्धारित करने के लिए क्या परीक्षण हैं कि कानून द्वारा स्थापित या विधि के अंतर्गत निगमित निगम सरकार का परिकरण या अभिकरण है या नहीं? एक सर्व-समावेशी या संपूर्ण परीक्षण तैयार करना संभव नहीं है जो इस प्रश्न का पर्याप्त उत्तर दे सके। ऐसा कोई कट-एंड-ड्राई सूत्र नहीं है, जो निगमों को उन लोगों में सही विभाजन प्रदान करेगा जो सरकार के परिकरण या अभिकरण हैं और जो नहीं हैं।”

इसके बाद न्यायालय ने संपूर्ण शेयर पूंजी के स्वामित्व के अलावा विभिन्न परीक्षणों को उपदर्शित किया: (एससीसी पृ. 508 और 509, पैरा 15 और 16)

“..... एक और कारक भी है जिसे इस मुद्दे पर असर डालने वाला माना जा सकता है और वह यह है कि क्या निगम का संचालन एक महत्वपूर्ण लोक कृत्य है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में कई मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निजी कार्रवाई की अवधारणा को राज्य की कार्रवाई की अवधारणा हेतु छोड़ दिया जाना चाहिए जहां लोक कृत्य किए जा रहे हैं। आर्थर एस. मिलर देखें: 'सिक्योरिटी स्टेट' का संवैधानिक कानून [5 10 स्टैनफोर्ड लॉ रिव्यू 620, 644] ... यह ध्यान दिया जा सकता है कि तथाकथित पारंपरिक कार्यों के अलावा, आधुनिक राज्य कई लोक उद्यमों का संचालन करता है और कई अन्य लोक कृत्यों का निर्वहन करता है। यदि निगम के कार्य लोक महत्व के हैं और सरकारी कार्यों से निकटता से संबंधित हैं, तो यह निगम को सरकार के परिकरण या अभिकरण के रूप में वर्गीकृत करने में एक प्रासंगिक कारक होगा। यह वही बात है जो मैथ्यू, जे, ने सुखदेव बनाम भगतराम [(1975) 1 एससीसी 421] में बताई थी, जहाँ विद्वान न्यायाधीश ने कहा था कि 'लोक कृत्यों को करने के उच्च लोक हित के मामलों में लगी संस्थाएँ अपने द्वारा किए जाने वाले कृत्यों की प्रकृति के कारण सरकारी अभिकरण हैं। ऐसी गतिविधियाँ जो समाज के लिए बहुत मौलिक हैं, परिभाषा के अनुसार इतनी महत्वपूर्ण हैं

कि उन्हें सरकारी कार्य नहीं माना जाना चाहिए।'

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण मामले में न्यायालय की इन टिप्पणियों को हमारा पूर्ण अनुमोदन प्राप्त है।

9. यह निर्धारित करने के लिए कि कब किसी निगम को सरकार का अभिकरण या परिकरण कहा जा सकता है, परीक्षण अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण मामले में निर्णय से निकाले जा सकते हैं... हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण मामले में निर्णय से एकत्रित प्रासंगिक परीक्षाओं को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं:

"(1) एक बात तो स्पष्ट है कि यदि निगम की सम्पूर्ण शेयर पूंजी सरकार के पास है, तो इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि निगम सरकार का एक परिकरण या अभिकरण है। (एससीसी पृ. 507, पैरा 14)

(2) जहां राज्य की वित्तीय सहायता इतनी अधिक हो कि निगम का लगभग पूरा व्यय पूरा हो जाए, तो इससे यह उपदर्शित होता है कि निगम में सरकारी रूप निहित है। (एससीसी पृ. 508, पैरा 15)

(3) यह भी एक प्रासंगिक कारक हो सकता है... कि क्या निगम को एकाधिकार का दर्जा प्राप्त है

जो राज्य द्वारा प्रदत्त है या राज्य द्वारा संरक्षित है। (एससीसी पृष्ठ 508, पैरा 15)

(4) गहन एवं व्यापक राज्य नियंत्रण का अस्तित्व इस बात को उपदर्शित कर सकता है कि निगम एक राज्य अभिकरण या परिकरण है। (एससीसी पृष्ठ 508, पैरा 15)

(5) यदि निगम के कार्य लोक महत्व के हैं और सरकारी कार्यों से निकटता से संबंधित हैं, तो निगम को सरकार के परिकरण या अभिकरण के रूप में वर्गीकृत करने में यह एक प्रासंगिक कारक होगा। (एससीसी पृष्ठ 509, पैरा 16)

(6) 'विशेष रूप से, यदि सरकार का कोई विभाग किसी निगम को हस्तांतरित कर दिया जाता है, तो यह इस निष्कर्ष का समर्थन करने वाला एक सशक्त कारक होगा' कि निगम सरकार का एक परिकरण या अभिकरण है।" (एससीसी पृष्ठ 510, पैरा 18)

यदि इन प्रासंगिक कारकों पर विचार करने पर यह पाया जाता है कि निगम सरकार का एक परिकरण या अभिकरण है, तो यह, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण मामले में बताया गया है, एक "प्राधिकरण" होगा और इसलिए अनुच्छेद 12 में अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर 'राज्य' होगा।

.....

11. हम यह बता सकते हैं कि इस उद्देश्य के लिए यह मायने नहीं रखता कि निगम किसी क़ानून द्वारा बनाया गया है या क़ानून के अंतर्गत। परीक्षण यह है कि यह सरकार का एक परिकरण या अभिकरण है या नहीं, न कि यह कि इसे कैसे बनाया गया है। जांच इस विषय में नहीं होनी चाहिए कि विधिक व्यक्ति का जन्म कैसे हुआ, किंतु यह कि इसे क्यों अस्तित्व में लाया गया है। निगम क़ानून द्वारा बनाया गया एक वैधानिक निगम हो सकता है या यह एक सरकारी कंपनी या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित कंपनी हो सकती है या यह सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 या किसी अन्य समान क़ानून के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत सोसायटी हो सकती है। चाहे इसकी आनुवंशिक उत्पत्ति कुछ भी हो, यह अनुच्छेद 12 के अर्थ में एक “प्राधिकरण” होगा यदि यह सरकार का परिकरण या अभिकरण है और यह प्रासंगिक कारकों के प्रकाश में तथ्यों के उचित मूल्यांकन पर निर्णीत किया जाना चाहिए। सरकार के परिकरण या अभिकरण की अवधारणा किसी क़ानून द्वारा बनाए गए निगम तक सीमित नहीं है, किंतु यह किसी कंपनी या सोसायटी पर भी समान रूप से लागू होती है और किसी दिए गए मामले में, प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद यह निर्णीत करना होगा कि क्या कंपनी या सोसायटी सरकार का परिकरण या अभिकरण है जिससे

वह अनुच्छेद 12 में "प्राधिकरण" अभिव्यक्ति के अर्थ में आ सके।"

(जोर दिया गया)

24. अजय हसिया (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए कई परीक्षण स्थापित किए कि क्या किसी इकाई को सरकार का परिकरण या अभिकरण माना जा सकता है, और इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत एक "प्राधिकरण" माना जा सकता है। इन परीक्षणों में निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु यह इन तक ही सीमित नहीं हैं;

1. सरकार से वित्तीय सहायता का विस्तार;
2. सरकार का गहन और व्यापक नियंत्रण;
3. निष्पादित कार्य लोक महत्व के होते हैं और सरकारी कृत्यों से निकटता से संबंधित होते हैं।
4. इकाई को राज्य द्वारा प्रदत्त या संरक्षित एकाधिकार का दर्जा प्राप्त है;
5. सरकारी विभाग को इकाई को हस्तांतरित कर दिया गया है।

25. प्रदीप कुमार बिस्वास (पूर्वोक्त) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अजय हसिया (पूर्वोक्त) में निर्धारित परीक्षण यह निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं कि कोई इकाई राज्य का परिकरण या अभिकरण है या नहीं। न तो सभी परीक्षणों का उत्तर सकारात्मक रूप से दिया जाना आवश्यक है और न ही एक या दो परीक्षणों का सकारात्मक

उत्तर पर्याप्त होगा। यह शासकीय शक्ति के वास्तविक स्रोत की पहचान करने में ऐसे कारकों की अनिवार्यता और प्रबल प्रकृति के आधार पर एक या अधिक प्रासंगिक कारकों के संयोजन पर निर्भर करेगा, यदि आवश्यक हो तो संबंधित इकाई को छिपाने वाले मुखौटे को हटाकर या परदे को भेदकर।

26. प्रदीप कुमार बिस्वास (पूर्वोक्त) के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे पुनः प्रस्तुत हैं: -

"98. हम अपने निष्कर्ष इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं:

(1) किसी विधिक इकाई को राज्य का परिकरण या अभिकरण मान लेने मात्र से वह अनुच्छेद 12 में वर्णित "अन्य प्राधिकरणों" के अर्थ में आवश्यक रूप से प्राधिकरण नहीं बन जाता। प्राधिकरण होने के लिए, इकाई को किसी कानून द्वारा या किसी कानून के अंतर्गत बनाया जाना चाहिए और जनता के प्रति बाध्यता और दायित्वों के साथ काम करना चाहिए। इसके अलावा, इकाई बनाने वाले कानून में उस इकाई को अनुच्छेद 13(2) के अर्थ में कानून बनाने या बाध्यकारी निर्देश जारी करने की शक्ति निहित होनी चाहिए जो अन्य लोगों या अन्य लोगों के मामलों के साथ उसके संबंधों - उनके अधिकार, कर्तव्य, बाध्यताओं या अन्य विधिक संबंध को नियंत्रित करे। यदि यह किसी कानून के अंतर्गत बनाया गया है, तो इकाई को ऐसी शक्तियाँ प्रदान करने वाला कोई अन्य कानून भी होना चाहिए। किसी भी मामले में, इसे ऐसे

कार्य सौंपे जाने चाहिए जो सरकारी हों या लोक महत्व के होने या लोगों के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण उससे निकटता से जुड़े हों और इसलिए सरकारी हों। ऐसा प्राधिकरण राज्य होगा, क्योंकि, जो राज्य की शक्तियों या विशेषाधिकारों का आनंद उठाता है, उसे राज्य की सीमाओं और दायित्वों के अधीन भी होना चाहिए। यह सशक्त वैधानिक स्वाद और शक्ति का स्पष्ट संकेत - संवैधानिक या वैधानिक, और लोगों के मौलिक अधिकारों के अपाय हेतु कार्य करने की इसकी क्षमता या योग्यता ही इसे एक प्राधिकरण बनाती है; हालांकि किसी दिए गए मामले में, तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, एक प्राधिकरण को राज्य का परिकरण या अभिकरण भी पाया जा सकता है और उस सीमा तक वे अतिव्याप्त हो सकते हैं। अजय हसिया [अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब सेहरावर्दी (1981) 1 एससीसी 722] में टेस्ट 1, 2 और 4 सरकारी स्वामित्व या नियंत्रण का निर्धारण करने में सक्षम बनाते हैं। टेस्ट 3, 5 और 6 "कार्यात्मक" परीक्षण हैं। परीक्षणों के प्रस्तावक ने स्वयं उन शब्दों का उपयोग किया है दुर्भाग्य से उसके बाद इन परीक्षणों को यह जांचने के लिए प्रासंगिक माना गया कि क्या कोई प्राधिकरण राज्य है और यह भ्रांति राज्य के "परिकरण और अभिकरण" और "प्राधिकरण" के बीच अंतर के कारण हुई है, जिसे बिना सोचे-समझे, अनजाने में और बिना सोचे-समझे अनदेखा कर दिया

गया है। हमारी राय में, और “प्राधिकरण” के अर्थ को ध्यान में रखते हुए, यह सवाल कि क्या कोई इकाई “प्राधिकरण” है, इसका उत्तर अजय हसिया [अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब सेहरावर्दी, (1981) 1 एससीसी 722] परीक्षणों को लागू करके नहीं दिया जा सकता है।

(2) अजय हसिया मामले में निर्धारित परीक्षण [अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब सेहरावर्दी (1981) 1 एससीसी 722] यह निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक हैं कि कोई इकाई राज्य का परिकरण या अभिकरण है या नहीं। न तो सभी परीक्षणों का उत्तर सकारात्मक में देना आवश्यक है और न ही एक या दो परीक्षणों का सकारात्मक उत्तर पर्याप्त होगा। यह एक या अधिक प्रासंगिक कारकों के संयोजन पर निर्भर करेगा, जो कि शासकीय शक्ति के वास्तविक स्रोत की पहचान करने में ऐसे कारकों की अनिवार्यता और प्रबल प्रकृति पर निर्भर करता है, यदि आवश्यक हो तो संबंधित इकाई को छिपाने वाले मुखौटे को हटाकर या परदे को भेदकर। जब किसी इकाई का स्वतंत्र विधिक अस्तित्व होता है, तो उसे राज्य होने का दावा करने से पहले, उसे ऐसा होने का दावा करने वाले व्यक्ति को सरकार की गहन उपस्थिति या सरकार के गहन और व्यापक नियंत्रण की न्यायालय को संतुष्टि देनी चाहिए जिससे उसे राज्य का परिकरण या अभिकरण माना जा सके।

(जोर दिया गया)

27. इन सिद्धांतों को इस मामले में लागू करने पर, हमें ऐसे अभिलिखित पुख्ता साक्ष्य मिले हैं जो यह स्थापित करते हैं कि अपीलार्थीगण नियमित सरकारी कर्मचारियों की विशेषताओं को पूरा करते हैं। बेशक, अपीलार्थीगण को नियमित वेतनमान पर नियुक्त किया गया था। यह कारक स्थायी सरकारी कर्मचारियों के समान औपचारिक कर्मचारी-नियोक्ता संबंध को दृढ़ता से उपदर्शित करता है। अजय हसिया (पूर्वोक्त) में, इस न्यायालय ने देखा कि वित्तीय व्यवस्था की प्रकृति सरकारी रूप को उपदर्शित कर सकती है। अपीलार्थीगण हेतु सरकारी वेतनमान का उपयोग सरकार की वित्तीय संरचना में एकीकरण के एक स्तर का सुझाव देता है जो सामान्य अस्थायी नियोजन से परे है। अपनी सेवा के दौरान, अपीलार्थीगण को अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन वृद्धि और पदोन्नति मिली। वृत्ति की प्रगति का यह पैटर्न नियमित सरकारी कर्मचारियों के समान है और उनके नियोजन की शर्तों पर एक गहन और व्यापक सरकारी नियंत्रण का सुझाव देता है। अजय हसिया (पूर्वोक्त) में, राज्य नियंत्रण की डिग्री को राज्य के परिकरणों की पहचान करने के लिए एक प्रमुख कारक के रूप में उजागर किया गया था। चार्ट (पूर्वोक्त) यह दर्शाने के लिए सकारात्मक साक्ष्य प्रदान करता है कि अपीलार्थीगण के वृत्ति पथ को स्थायी कर्मचारियों की तरह प्रबंधित किया गया था, जो नियमित सरकारी सेवा के अनुरूप सरकारी निगरानी और नियंत्रण के स्तर को दर्शाता है। इसके अलावा, दिनांक 12 मार्च 2003 को उप निदेशक (एजी) द्वारा जारी कार्यालय

आदेश, जिसने एसएसडी फंड खातों को एसएफएफ के महानिरीक्षक के समग्र नियंत्रण में मुख्यालय एसएफएफ को संबंधित दस्तावेजों और लिपिक कर्मचारियों के साथ स्थानांतरित कर दिया, यह दर्शाता है कि अपीलार्थीगण की सेवाओं को प्रशासनिक मान्यता दी गई थी जो सरकारी ढांचे का अभिन्न अंग है। एसएसडी फंड के पूरे कैडर को मुख्यालय एसएफएफ में स्थानांतरित करने का उद्देश्य फंड का बेहतर उपयोग और निगरानी सुनिश्चित करना है, यह अवधारणा को सशक्त करता है कि अपीलार्थीगण के पास नियमित सरकारी कर्मचारियों की विशेषताएं थीं।

28. सुनिश्चित वृत्ति प्रगति (एसीपी) के अनुदान सहित छुट्टी और अन्य लाभों के प्रावधान अपीलार्थीगण की नियोजन स्थितियों और नियमित सरकारी कर्मचारियों के बीच समानता को और पुष्ट करते हैं। ये लाभ सामान्य रूप से सरकारी क्षेत्र के भीतर औपचारिक, दीर्घकालिक नियोजन संबंधों से संबद्ध हैं। दिनांक 23 जून, 2006 की अधिकारीगण की बोर्ड कार्यवाही ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि एसएसडी फंड कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते सहित नियम और शर्तें, मार्च 1978 में एसएसएफ मुख्यालय प्रतिष्ठान सं. 22 के लेखा अनुभाग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों पर लागू नियमों और शर्तों के अनुसार निर्धारित की गई थीं। सुनिश्चित वृत्ति प्रगति (एसीपी) का विस्तार और नियमित सरकारी कर्मचारियों के साथ नियम और शर्तों का संरेखण, विशेष रूप से, एक सकारात्मक कार्रवाई है जो दर्शाती है कि सरकार ने इन कर्मचारियों को उनकी अस्थायी स्थिति के बावजूद दीर्घकालिक आस्तियों के रूप में

देखा और उनके साथ व्यवहार किया। मूल रूप से, एसएसडी फंड के लिए खातों के रखरखाव से जुड़े अपीलार्थीगण के कर्तव्यों के चार्टर को सरकारी कार्यों से निकटता से संबंधित लोक महत्व का समनुदेशन माना जा सकता है। यह अजय हसिया (पूर्वोक्त) में निर्धारित एक अन्य परीक्षण के अनुरूप है, जो किए गए कार्यों के लोक महत्व और सरकारी प्रकृति पर विचार करता है। पूरे एसएफएफ कैंडर के व्यक्तिगत भविष्य निधि योगदान से उत्पन्न धन का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसका लोक हित और सरकारी सेवाओं के प्रभावी संचालन पर सीधा असर पड़ता है।

29. निर्विवाद रूप से, अपीलार्थीगण ने तीन दशकों से अधिक समय तक एसएसएफ मुख्यालय प्रतिष्ठान सं. 22 में सेवा की है। हालांकि केवल सेवा की अवधि निर्णायक नहीं हो सकती है, किंतु उनके नियोजन के अन्य पहलुओं के साथ संयोजन में विचार करने पर यह एक महत्वपूर्ण कारक है। इस प्रकार की दीर्घकालिक सेवा सरकारी ढांचे में स्थायित्व और एकीकरण के स्तर का सुझाव देती है जो उनके अस्थायी कर्मचारियों के रूप में वर्गीकरण को झुठलाती है। अपीलार्थीगण ने एसएसएफ मुख्यालय प्रतिष्ठान सं. 22 के लेखा अनुभाग में नियमित कर्मचारियों के समान कर्तव्यों का पालन किया। नौकरी के कार्यों में यह समानता अपीलार्थीगण की स्थिति और नियमित सरकारी कर्मचारियों के बीच की रेखा को और धुंधला कर देती है, यह सुझाव देती है कि यह विभेद वास्तविक से अधिक औपचारिक हो सकता है। चौथे और पांचवें सीपीसी से महत्वपूर्ण तत्वों को अपीलार्थीगण तक पहुंचाने से सरकारी

कार्यों में नियोजित होने के उनके अभिवाक् से मजबूत होती है।

30. प्रत्यर्थीगण की ओर से पेश हुए विद्वान अति.महासॉलि. ने तर्क दिया है कि एसएसडी फंड कर्मचारियों के लिए भर्ती, चयन और पदोन्नति की प्रक्रिया में नियमित कर्मचारियों के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया और अपीलार्थीगण को परिवीक्षा के अधीन नहीं किया गया या उन्हें स्थायी कर्मचारियों के रूप में पुष्टि पत्र नहीं दिए गए। यद्यपि, यह न्यायालय इस प्रकार के तर्क को असमर्थनीय पाता है क्योंकि यह तीन दशकों तक चलने वाली विस्तारित अवधि में अपीलार्थीगण के नियोजन की मूल प्रकृति को ध्यान में रखने में विफल रहता है। इस संबंध में, विनोद कुमार और अन्य बनाम भारत संघ¹ के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें इस न्यायालय ने नोट किया;

"5. दोनों पक्षकारगण के तर्कों को सुनने के बाद, इस न्यायालय का मानना है कि नियोजन का सार और उसके अधिकार केवल नियुक्ति की प्रारंभिक शर्तों से निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं, जब नियोजन का वास्तविक क्रम समय के साथ काफी विकसित हो चुका हो। नियमित कर्मचारियों की हैसियत से अपीलार्थीगण की निरंतर सेवा, स्थायी पदों से अलग कर्तव्यों का पालन करना और नियमित भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से उनका चयन, उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की

अस्थायी और योजना-विशिष्ट प्रकृति से एक महत्वपूर्ण विचलन है। इसके अलावा, अपीलार्थीगण की पदोन्नति प्रक्रिया एक विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा संचालित और देखरेख की गई थी और उनकी भूमिकाओं की अस्थायी प्रकृति के किसी भी उपदर्शन की पुष्टि किए बिना या ऐसी अस्थायी नियुक्ति की अवधि निर्दिष्ट किए बिना 25 वर्षों से अधिक समय तक उनकी निरंतर सेवा, उनके नियोजन की स्थिति पर पुनर्विचार करने योग्य है।

6. उमा देवी (पूर्वोक्त) में दिए गए निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए लागू करना, , जिनके अंतर्गत अपीलार्थीगण कार्यरत थे और अपनी सेवा जारी रखी है, तथ्यों के साथ पूर्ण रूप से मेल नहीं खाता है। शुरू में प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं पर निर्भरता का उपयोग निरंतर सेवा के माध्यम से काफी अवधि में अर्जित किए गए मूल अधिकारों को हमेशा के लिए नकारने के लिए नहीं किया जा सकता है। उनकी पदोन्नति रिक्तियों के लिए एक विशिष्ट अधिसूचना और उसके बाद के परिपत्र के आधार पर हुई थी, जिसके बाद लिखित परीक्षा और साक्षात्कार वाली चयन प्रक्रिया हुई, जो उनके मामले को उमा देवी (पूर्वोक्त) के मामले में चर्चा की गई पिछले दरवाजे से प्रवेश के माध्यम से नियुक्तियों से अलग करती है।

7. उमा देवी (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय में कुछ नियुक्तियों पर विचार करने के महत्व को रेखांकित करते हुए "अनियमित" और "अवैध" नियुक्तियों के बीच अंतर किया गया, भले ही वे निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से नहीं की गई हों, यह अवैध रूप से नहीं कहा जा सकता है यदि उन्होंने वर्तमान मामले की तरह लिखित परीक्षाओं या साक्षात्कार के संचालन जैसी नियमित नियुक्तियों की प्रक्रियाओं का पालन किया था। उमा देवी (पूर्वोक्त) मामले का अनुच्छेद 53 यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"53. एक पहलू को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ एस.वी. नारायणप्पा [(1967) 1 एससीआर 128], आर.एन. नंजुंदप्पा [(1972) 1 एससीसी 409] और बी.एन. नागराजन [(1979) 4 एससीसी 507] में स्पष्ट किए गए और ऊपर पैरा 15 में संदर्भित अनियमित नियुक्तियां (गैरकानूनी नियुक्तियां नहीं) हो सकती हैं, विधिवत स्वीकृत रिक्त पदों पर विधिवत योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की गई हो सकती है और कर्मचारी दस वर्ष या उससे अधिक समय तक काम करते रहे हों, किंतु न्यायालयों या अधिकरणों के आदेशों के हस्तक्षेप के बिना। इस संदर्भ में, भारत संघ, राज्य सरकारों और उनके संगठनों को एक बार के उपाय के रूप में ऐसे अनियमित रूप से नियुक्त लोगों की सेवाओं को

नियमित करने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिन्होंने विधिवत स्वीकृत पदों पर दस वर्ष या उससे अधिक समय तक काम किया है, किंतु न्यायालयों या अधिकरणों के आदेशों की आड़ में नहीं और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उन रिक्त स्वीकृत पदों को भरने के लिए नियमित भर्तियाँ की जाएँ, जिन्हें भरने की आवश्यकता है, ऐसे मामलों में जहाँ अस्थायी कर्मचारी या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अब कार्यरत हैं। इस तिथि से छह महीने के भीतर प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई नियमितीकरण पहले से किया गया है, किंतु न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, तो इस निर्णय के आधार पर उसे फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है, किंतु संवैधानिक आवश्यकता को और अधिक दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए और संवैधानिक योजना के अनुसार विधिवत नियुक्त नहीं किए गए लोगों को नियमित या स्थायी नहीं बनाया जाना चाहिए।”

8. ऊपर अभिलिखित कारणों के आलोक में, यह न्यायालय अपीलार्थीगण के तर्कों में गुणागुण पाता है और अभिनिर्धारित करता है कि समय के साथ विकसित हुई उनकी सेवा की स्थिति, अस्थायी से नियमित स्थिति में पुनर्वर्गीकरण की गारंटी देती है। उनकी भूमिकाओं की मूल प्रकृति और स्थायी कर्मचारियों के समान उनकी निरंतर सेवा को पहचानने में विफलता समानता, निष्पक्षता और नियोजन नियमों के पीछे के आशय के सिद्धांतों के विपरीत है।”

(जोर दिया गया)

31. जैसा कि विनोद कुमार (पूर्वोक्त) में कहा गया है, "नियोजन का सार और उसके अधिकार केवल नियुक्ति की प्रारंभिक शर्तों से निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं, जब नियोजन का वास्तविक क्रम समय के साथ काफी विकसित हो चुका हो।"
32. यह न्यायालय इस सिद्धांत से पूर्ण रूप से सहमत है और इसे वर्तमान मामले में पूर्ण रूप से लागू पाता है, सामान्य रूप से प्रशासनिक आदेशों और बोर्ड की कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए, जिसमें अपीलार्थीगण को नियमित सरकारी कर्मचारियों के समान माना गया है। कर्मचारियों को 'अस्थायी' या 'स्थायी' के रूप में वर्गीकृत करना केवल नाम पद्धति का मामला नहीं है, किंतु इसमें महत्वपूर्ण विधिक निहितार्थ हैं, खास तौर पर सेवा लाभ और सुरक्षा के संदर्भ में।
33. वर्तमान मामले में, परिस्थितियों की समग्रता यह दर्शाती है कि अस्थायी कर्मचारियों के रूप में उनके औपचारिक वर्गीकरण के बावजूद, अपीलार्थीगण के नियोजन में नियमित सरकारी सेवा के पर्याप्त लक्षण हैं। इन कारकों पर उचित विचार किए बिना, केवल उनकी अस्थायी स्थिति के आधार पर पेंशन लाभ से इनकार करना, सरकार के साथ उनके नियोजन संबंधों का अति सरलीकरण प्रतीत होता है। इस दृष्टिकोण से कर्मचारियों का एक ऐसा वर्ग बनने का जोखिम है, जो नियमित कर्मचारियों से अलग तरीके से दशकों तक सरकार की सेवा करने के बावजूद, सरकारी कर्मचारियों को आमतौर पर दिए जाने वाले लाभों और सुरक्षा से वंचित हैं।

34. इस प्रकार, हमारा मानना है कि अपीलार्थीगण को पेंशन लाभ से वंचित करना विधि की दृष्टि में उचित या न्यायोचित नहीं है क्योंकि यह मनमाना है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह ध्यान रखना वास्तव में प्रासंगिक है कि अपीलार्थीगण का समूह एसएसडी फंड के अस्थायी कर्मचारियों की अपनी श्रेणी में अंतिम प्रतीत होता है और इस प्रकार, स्पष्ट रूप से, अपीलार्थीगण को 6वें सीपीसी और आरपी नियमों के लाभों का विस्तार करने का निर्देश एक मिसाल नहीं बनेगा जिससे एसएसडी फंड के वित्तीय स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़े।

35. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आक्षेपित निर्णय संवीक्षा के दायरे में नहीं आता है तथा विधि की दृष्टि में असंधार्य है, इसलिए इसे अपास्त किया जाता है।

36. प्रत्यर्थीगण को निर्दिष्ट किया जाता है कि वे संशोधित वेतनमान नियम, 2008 के अंतर्गत पेंशन लाभ सहित छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के लाभ अपीलार्थीगण को उसी प्रकार प्रदान करें, जिस प्रकार एसएफएफ मुख्यालय प्रतिष्ठान सं. 22 के लेखा अनुभाग में उनके सहकर्मियों को प्रदान किए जा रहे हैं।

37. इन शर्तों के साथ अपील अनुज्ञात की जाती है। कोई जुर्माना नहीं।

38. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटान किया जाएगा।

मामले का परिणाम:अपील अनुज्ञात।

* द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:दिव्या पांडे

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.